न्यायालय लेण्ड रिकॉर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पिठासीन अधिकारी:– मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या :– 39 / 2022 (प्रार्थनापत्र)
दायर दिनांक :– 04 / 05 / 2022
निर्णय दिनांक :– 29 / 08 / 2022

अनवान

1. महावीरसिंह पिता घनश्यामसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. मुंशी मोहम्मद पिता मीर मोहम्मद मुसलमान निवासी गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
2. रजाक मोहम्मद पिता मीर मोहम्मद मुसलमान निवासी गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
3. सलार मोहम्मद पिता मीर मोहम्मद मुसलमान निवासी गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
4. सिराज मोहम्मद पिता मीर मोहम्मद मुसलमान निवासी गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
5. भगवानसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
6. ईश्वरसिंह पिता निर्भयसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
7. गोपालसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
8. चावण्डसिंह पिता निर्भयसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा

8/1 निर्मला कंवर पत्नि चावण्ड सिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
8/2 करणसिंह पिता चावण्ड सिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
8/3 चंचल कुंवर पुत्री चावण्ड सिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा

9. जसवन्तसिंह पिता जगन्नाथसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
10. दुर्गाकंवर पित ओमप्रकाश राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
11. पप्पु कुंवर पत्नि गोपालसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
12. जसवन्तसिंह पिता जगन्नाथसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
13. भगवानसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
14. भुपेन्द्रसिंह पिता ओमप्रकाश राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा

मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

लैण्ड रिकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

15. मदनसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
16. योगेन्द्रसिंह पिता ओमप्रकाश राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
17. रामसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
18. ललित पिता गोपालसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
19. श्रवणसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
20. हुकुमसिंह पिता जगन्नाथसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
21. मदनसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
22. रामसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
23. जसवन्तसिंह पिता जगन्नाथसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
24. जसवन्तसिंह पिता जगन्नाथसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
25. हुकुमसिंह पिता जगन्नाथसिंह राजपूत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा
26. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय, रेलमगरा

विपक्षीगण

उपस्थित
प्रार्थी की ओर से – श्री महेशचन्द्र सोनी, अधिवक्ता
विपक्षी की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांक – 29 / 08 / 2022

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 एवं 111 भू राजस्व अधिनियम</u>

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 एवं 111 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम बनेडिया पटवार हल्का बनेडिया तहसील क्षैत्र रेलमगरा की सीमा में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 23, 24, 25 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 15986 रकबा 0.5261 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 23, 24 व 25 की आराजी संख्या 2598, 1608 के पूर्व दिशा में विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 की आराजी संख्या 1609, 1610 स्थित है,

लैण्ड रिकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

तथा प्रार्थी की आराजी संख्या 1598, 1608 के पश्चिम दिशा में विपक्षी संख्या 05 से लगायत 20 की आराजी संख्या 1607, 1606, 1605, 1599, 1597 स्थित है तथा प्रार्थी की आराजी संख्या 1598, 1608 के उत्तर दिशा में व दक्षिण दिशा में विपक्षी संख्या 21 व 22 की आराजी संख्या 1611 व 1596 स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेश साथ संलग्न हैं। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 23, 24 व 25 की उक्त आराजीयात 1598 व 1608 व विपक्षीगण की आराजीयात के मध्य सीमाकंन के रूप में कोई स्थाई सीमा चिन्ह अंकित नहीं है न ही मौके पर कोई डोल, थोहर बाड इत्यादि है, जिससे प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 22 के बीच सीमा संबंधित विवाद, लडाई झगड़ा होते रहते है तथा विपक्षी संख्या 01 सं लगायत 46 आये दिन प्रार्थी की जमीन में जबरन प्रवेश कर थोहर बाड़ लगाने की कोशिश करता है तथा आये दिन सीमा को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 से लगायत 22 द्वारा आये दिन सीमा संबंधी विवाद करने से एवं अनाधिकार प्रार्थी की आराजीयात में प्रवेश कर प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर कब्जा करने की कोशिश करने के कारण व विपक्षी संख्या 01 से लगायत 22 अपनी आराजी में मिलाने के लिये प्रयासरत रहते है जिस कारण प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय, रेलमगरा के यहां सीमा जानकारी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार रेलमगरा ने पटवार हल्का को सीमा जानकारी करने बाबत् आदेश दिया जिस पर दिनांक 02/03/2022 को पटवार हल्का बनेडिया ने मौके पर पहुच प्रार्थी की उक्त आराजीयात् की सीमा जानकारी करवाई एवं मौका पर्चा बनवाया परन्तु उक्त सीमा जानकारी से प्रार्थी संतुष्ट नहीं हुआ जिससे स्थाई सीमा चिन्ह करवाया जाना आवश्यक है तथा दोनो आराजीयात के बीच स्थाई सीमांकन चिन्ह फेंसिंग एवं स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण एवं भविष्य में किसी भी प्रकार से सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं हो इस हेतु यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा पटवार हल्का बनेडिया द्वारा सीमा जानकारी दिनांक

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

लैण्ड रिकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

02/03/2022 को कराने के बावजूद भी विपक्षी संख्या 01 से लगायत 46 नहीं मान रहे है जिस कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। विपक्षी संख्या 23, 24 व 25 प्रार्थी के रूप में उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनने के कारण उन्हें विपक्षी के रूप में पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनसे कोई दाद इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से नहीं चाही गई है। वादग्रस्त भूमियां ग्राम बनेडिया पटवार क्षैत्र बनेडिया तहसील रेलमगरा में मौजूद होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार आप न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बनेडिया में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 1598 व 1608 के पूर्व, पश्चिम व उत्तर, दक्षिण की आराजीयात के बीच पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इस हेतु तहसीलदार महोदय, रेलमगरा को कमीश्नर मुकर्रर फरमाया जाकर उक्त आदेश की पालना कराई जावें। खर्चा कमीश्नर प्रार्थी वहन करने को तैयार है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। पेरोकार के विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है।

उभय पक्ष की बहस सूनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने का हक अधिकार निहित है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम बनेडिया पटवार हल्का बनेडिया तहसील क्षैत्र रेलमगरा की सीमा में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 23, 24, 25 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 15986 रकबा 0.5261 हैक्टेयर भूमि व विपक्षीगण

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी * रेलमगरा *

लैण्ड रिकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

आराजी संख्या 1609, 1610, 1607, 1606, 1605, 1599, 1597, 1611 व 1596 भूमियों के मध्य पत्थरगढी किये हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त पक्षकारान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करावें तथा पक्षकारान की उपस्थित के सम्बन्ध में फर्द मौका में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी * रेलमगरा *

(मनसुख राम डामोर)
लैण्ड रिकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा